राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0–30–95/2026...3777

प्रेषक,

शम्भु कुमार
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत),
–सह–जिला पदाधिकारी
किशनगंज

पटना, दिनांक–16.09.2026

विषय : ठाकुरगंज प्रखंड अन्तर्गत परिसीमन के ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे अतिरिक्त EBs को आयोग के वेबसाईट से विलोपित करने के संबंध में।

प्रसंगः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पत्रांक–1806 दिनांक 16.09.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा प्रतिवेदित है कि वर्ष–2011 की जनगणना के अनुसार ठाकुरगंज प्रखंड अन्तर्गत–494 EBs है, परन्तु वर्तमान में आयोग के वेबसाइट पर कुल 503 EBs प्रदर्शित हो रहे है। अतः कुल–09 अतिरिक्त EBs को विलोपित करने के संबंध में अनुरोध प्रेषित हैं।

ज्ञातव्य हो कि जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन के बगैर ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा सीधे आयोग से पत्राचार किया जा रहा हैं। इस संबंध में पूर्व में माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा असंतोष प्रकट किया जाता रहा हैं, अतएव आयोग से पत्राचार केवल जिला निर्वाचन पदा0–सह–जिला पदाधिकारी स्तर से ही किया जाए।

अतः अनुरोध हैं कि उपरोक्त विषय पर अपने स्तर से गहन समीक्षा करते हुए मंतव्य के साथ प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाये,ताकि विलोपित करने के संबंध में अग्रेतर कारवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन

16/9/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar@gmail.com

E:\dhiru\RKJ\RK\Letter.docx